न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेद सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–123/2017 राजस्व वाद

अनवान

01.कमला देवी पत्नि माणकलाल आच्छा, जाति महाजन आयु वयस्क निवासी करेडा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।

02.श्रीमती चन्दा देवी पत्नि कैलाशचन्द्र चावत जाति महाजन आयु वयस्क निवासी करेडा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा। ––वादीगण।

बनाम

01.श्री बालू सिंह मुतवन्ना सोहन सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी मनोहरपुरा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।

02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा ––प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट वाद बाबत् कब्जायाबी आराजियात

अधिवक्ता वादीगण– श्री ताराचन्द जैन निर्णय दिनांकः–16.10.2018

वादीगण ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 टिनेन्सी एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी माण्डल के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम मनोहरपुरा पटवार हल्का निम्बाहेडा जाटान द्वितीय, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा में वादीगण के खातेदारी अधिकार आधिपत्य के आराजी नं0 599 रकबा 16 बिस्वा, आराजी नं0 634/599 रकबा 9 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है। वादीगण ग्राम करेडा के निवासी हैं तथा प्रतिवादी सं0 1 का उक्त आराजी से कोई हक वास्ता नहीं है। वादीगण की अनुपस्थिति में प्रतिवादी सं0 1 ने वादीगण की आराजी पर सन् 2013 में आंशिक भू–भाग पर कब्जा कर लिया है जिसकी जानकारी वादीगण को होने पर वादीगण ने उपखण्ड अधिकारी माण्डल के न्यायालय में उपरोक्त आराजी की पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 376 सन् 2013 हैं जिसमें उपखण्ड अधिकारी माण्डल के न्यायालय ने पत्थरगढी का आदेश पारित किया। जिसकी पालना में दिनांक 18.06.2015 को गिरदावर निम्बाहेडा जाटान एवं पटवार हल्का द्वारा उक्त आराजियात की पत्थरगढी की गई व पर्चा मौका मुर्तिब किया जिससे जानकारी हुई कि प्रतिवादी सं0 1 ने वादीगण के आराजी नं. 599 रकबा 16 बिस्वा भूमि में से पूर्वी भाग पर 12 बिस्वा व आराजी नं0 634/599 रकबा 9 बिस्वा में भी पूर्वी भाग पर 3 बिस्वा भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। प्रतिवादी सं0 1 का उक्त वादग्रस्त आराजियात से कोई लेना–देना नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 को कई मर्तबा उक्त वादग्रस्त आराजियात से अपना अवैध कब्जा हटाने हेतु कहा व अंतिम बार दिनांक 20.09.2015 को कब्जा हटाने हेतु कहा लेकिन वे इंकार हो गये एवं लड़ाई–झगडा कर धमकीयां देते रहते हैं जिससे यह वाद पत्र प्रस्तुत करने की नौबत आई है एवं कब्जायाबी आराजियात की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमाई जाकर उक्त वादग्रस्त आराजियात में से प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा किये गये अवैध कब्जे को प्रतिवादी सं0 1 के खर्चे पर हटवाया जाकर वादीगण का रिक्त आधिपत्य कराया जाना आवश्यक है एवं वादीगण उक्त वाद ग्रस्त आराजियात पर प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अवैध कब्जा कर उपयोग–उपभोग में लेने से वादीगण की हुई आर्थिक क्षति बाबत् कब्जा वादीगण को सिपुर्द करने तक 15000 रूपये हर्जाना सालाना वादीगण प्रतिवादी सं0 1 से प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गण को सम्मन प्रेषित किये गये। प्रतिवादी सं० 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया।

कालांतर में उपखण्ड न्यायालय करेडा में नवसृजित हो जाने से उक्त पत्रावली उपखण्ड अधिकारी माण्डल के न्यायालय से मुन्तकिल होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रतिवादी सं० 1 को जवाब हेतु कई मर्तबा अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया जिस पर दिनांक 09.07.2018 को प्रतिवादी सं० 1 का जवाब बन्द किया गया।

वादीगण ने उक्त प्रकरण में बहस करनी चाही। बहस सुनी गई। वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी एवं पत्थरगढी पर्चा मौका की ओर ध्यान आकृष्ट किया।

मैंने पक्षकार की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2068–2071 से यह प्रमाणित होता है कि वादीगण आराजी नं. 599 व आराजी नं. 634/599 के खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत पर्चा मौका पत्थरगढी दिनांकित 18.06.2018 का अवलोकन किया। उक्त पर्चा मौका अनुसार गिरदावर एवं पटवारी हल्का द्वारा मुस्तकिल सीमा चिन्ह से पत्थर गढी की जाकर पत्थर गढवाये तथा इस आशय की रिपोर्ट दी कि आराजी नं० 599 रकबा 16 बिस्वा के पूर्वी दिशा के भू–भाग पर 12 बिस्वा व आराजी नं० 634/599 रकबा 9 बिस्वा के पूर्वी दिशा के भू–भाग पर 3 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी सं० 1 बालू सिंह मुतबन्ना सोहन सिंह राजपूत निवासी मनोहरपुरा ने अवैध कब्जा किया है । इस प्रकार वादीगण के वादपत्र में अंकित तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह प्रमाणित है कि प्रतिवादी सं० 1 ने वादीगण की कृषि भूमि में वादपत्र में वर्णितानुसार अवैध कब्जा किया है। प्रतिवादी सं० 1 द्वारा वादीगण के वादपत्र कोई खंडन नहीं किया है जिससे वादीगण का वादपत्र अखंडनीय रहा है। वादीगण अपने वादपत्र को साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहे हैं जिससे वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है ग्राम मनोहरपुरा पटवार हल्का निम्बाहेडा जाटान, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा में स्थित वादीगण की खातेदारी अधिकार की आराजी नं० 599 रकबा 16 बिस्वा के पूर्वी दिशा के भू–भाग की 12 बिस्वा व आराजी नं. 634/599 रकबा 9 बिस्वा के पूर्वी दिशा के भू–भाग 3 बिस्वा भूमि पर से प्रतिवादी सं० 1 बालु सिंह मुतबन्ना सोहन सिंह राजपूत निवासी मनोहरपुरा को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सिपुर्द किया जाये। तहसीलदार करेडा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल कर नंबर से कम हो।

डिक्री पर्चा तदनुसार कायम किया जावे। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर करेडा

Scanned by CamScanner

डिक्री

(आदेश 20 नियम 6/जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला भीलवाडा(राज0)

बईजलास श्री उम्मेद सिंह राजावत (आर0ए0एस0)

अनवान

01.कमला देवी पत्नि माणकलाल आच्छा, जाति महाजन आयु वयस्क निवासी करेडा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।

02.श्रीमती चन्दा देवी पत्नि कैलाशचन्द्र चावत जाति महाजन आयु वयस्क निवासी करेडा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा। ——वादीगण।

बनाम

01.श्री बालू सिंह मुतवन्ना सोहन सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी मनोहरपुरा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।

02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा जिला भीलवाडा ——प्रतिवादीगण।

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई सवरूप अदालत व हिजरी वकील वादी श्री ताराचन्द जैन मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि ग्राम मनोहरपुरा पटवार हल्का निम्बाहेडा जाटान, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा में स्थित वादीगण की खातेदारी अधिकार की आराजी नं0 599 रकबा 16 बिस्वा में से पूर्वी दिशा के भू–भाग की 12 बिस्वा व आराजी नं. 634/599 रकबा 9 बिस्वा में से पूर्वी दिशा के भू–भाग की 3 बिस्वा भूमि पर से प्रतिवादी सं0 1 बालु सिंह मुतवन्ना सोहन सिंह राजपूत निवासी मनोहरपुरा को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सिपुर्द किया जाये।

आज तारीख 16.10.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(उम्मेद सिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेडा जिला भीलवाडा

Scanned by CamScanner